

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 43 / 2015

दायर दिनांक 09.09.2015

शान्ताबाई	उनवान	
	बनाम	बाबुलाल

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 16.03.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर , वकील वादी द्वारा पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वकील वादी ने नोट प्रेस हेतु निवेदन किया जिससे पत्रावली नोट प्रेस में खारिज कि जाती है अत -पतरावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है



(भावना सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर

